

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या— .....

(प्राप्ति की तिथि के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

भाग-2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या F9/UK/ROAD/

7- परियोजना/स्कीम का स्थान जनपद चमोली में उद्यानमंत्री शुभ सड़क भौमि के अनुगति ४९६।/२०१५  
(१) राज्य/संघ शोसित क्षेत्र :- उत्तराखण्ड राज्य

पटेलगांव से पहरी भाट्ठ मार्ग।

(२) जिला :- चमोली

(३) वन प्रभाग :- बढ़ुनाम वन उमाग, गोपश्वर (चमोली)

(४) वनेतर भूमि प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (है)

- १०.७१० एकड़

(५) वन की कानूनी स्थिति

:- आरक्षित, सिविल, राव वन पंचापत।

(६) हरियाली घनत्व

- ००। से ०.५

प्रस्ताव में संलग्न

(७) जातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि/श्रेणीवार वृक्षों की परिणामना (संलग्न की जाय)। सिंचाई जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0- 2 मी० पर परिणामना और एफ0आर0एल0 -4 मी० भी संलग्न किये जायें।

(८) भूक्षण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी

प्रस्तावित फैज में भूस्खलन की संभावना नहीं है।

(९) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाय)

नहीं

(१०) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं। यदि हो/तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा दें।

बही

(११) क्या कोई सुरक्षित पुरातात्वीय/पौरापरिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।

नहीं

(१२) प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भाग-१ कॉलम २ में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

प्रस्तावित कुल वन भूमि न्यूनतम है, अक्षी भारी प्रस्तावित है, स्वीकृति के पश्चात दी निमित्त करवापा जाएगा।

नहीं

(१३) क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

10- प्रतिपूरक वनीकरण रकीम का ब्यौरा-

(१४) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार

संलग्न

- (2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता है
- (3) रोपित की जाने वाली प्रजातियों प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन ऐजेन्सी समय अनुसूची लागत, ढांचा आदि
- (4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय
- (5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)

11— जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कॉलम—7, 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये संलग्न करें।

12— विभाग/जिलाप्रोफाइल :—

(1) जिला का भौगोलिक क्षेत्र:-	<b>803000</b> है
(2) जिला का वन क्षेत्र:-	<b>514792</b> है
(3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र :-	<b>२१५ माल</b> <b>७६६.२६</b> है

- (4) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण —
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि —
- (ख) वनेत्तर भूमि पर —
- (5) **३०/०३/२०१५** तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति
- (क) वन भूमि पर **४३१.४३**
- (ख) वनेत्तर भूमि पर **००**

13— प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव के अन्यथा लेने के सम्बन्ध उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश

तिथि:— १५/०५/२०१५

स्थान:— वसुनिधि वन अंगारा  
गोपेश्वर (चमोली)

संलग्न

प्राप्तकालन प्रस्ताव एवं संलग्न  
प्रस्ताव के संलग्न

संलग्न

संस्कृति की जाति है।

हस्ताक्षर

(नाम:— रमेश प्रसाद पाण्डा)

सरकारी मोहर  
सम्मानित वन अंगारा  
गोपेश्वर (चमोली)